न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	56/2023	06.11.2023	19/2025 (2025/52)	15.01.2025	27.02.2026	1 लगायत 10

1. लक्खीराम पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास।
2. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओं, गंगापुर सिटी हाल एस0डी0ओ0 बामनवास।

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. प्रार्थी पक्ष की और से:– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा
2. अप्रार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र ग्राम श्योसिंहपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 337/1 में से 0.50 है0 गैरसायल सं0 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, साथ ही प्रार्थीपक्ष ने उक्त आवंटन दिनांक 16.06.1992 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । अप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अनुरोध किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से फ्रोड व छल कपट द्वारा ग्राम श्यामसिंहपुरा तहसील बामनवास मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 337/1 मे से 0.50 हेक्टर ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास का दिनांक 16–6–1992 को अपने नाम गलत रूप से आवंटन करवा लिया तथा अप्रार्थी संख्या 2 चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस०डी० ओ० गंगापुर सिटी हाल एस०डी०ओ० बामनवास द्वारा अप्रार्थी संख्या। रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के साथ साज कर दिनांक 16–6–1992 को आराजी खसरा नम्बर 337/1 में से 0.50 हेक्टर ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे से विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन नियमो के विपरीत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 16:09:25 IST
Reason: SelfAttested

जाकर अप्रार्थी संख्या के हक मे आवंटन किया गया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्त किये जाने बावत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है उक्त आवंटन हर हाल मे काविले निरस्तनीय है।

मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यो के परे होने से आवंटन निरस्तनीय है । भू आवंटन नियम 1970 कानून बनाते समय सरकार ने स्पष्ट पैरामीटर तय किये कि कृषि भूमि के आवंटन के लिए आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा और उस आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष उपजिला कलेक्टर होगा तथा उस समिति के सदस्य भी होंगे उक्त आवंटन सलाहकार समिति का गठन होने के बाद आवंटित भूमि की उद्घोषणा 15 दिन पूर्व किया जाना होगा आवंटन की कुछ अन्य शर्ते पात्रता भी रखी गयी थी। आवंटन की प्रमुख शर्तों में आवंटन होने के वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भूमि काश्त करेगा शेष भूमि द्वितीय वर्ष मे काश्त करेगा भूमि सरकार द्वारा बिना किसी मुआवजे के निरस्त की जा सकेगी यदि अलोटी भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार काश्त व सही उपयोग नही करेगा। आवंटन के समय अलोटी द्वारा सभी सूचनाये सही प्रकार से देगा सूचनाये असत्य पायी जावेगी तो आवंटन निरस्त माना जावेगा। भूमि का आवंटन उसी व्यक्ति को किया जावेगा जो उस गाँव का निवासी है जिस गाँव की भूमि का आवंटन किया जा रहा है। अलोटी की पात्रता मे यह भी उल्लेख है कि अलोटी भूमिहीन होगा उसके पास भारत में कही भी भूमि नही होगी अर्थात अलोटी भूमिहीन होगा तभी उसको भूमि अलोट की जा सकेगी । इन सभी नियमो के पीछे सरकार की कानून बनाते समय मनसा रही है कि ऐसे पात्र व्यक्ति जो दूसरो के खेतो मे मेहनत मजदूरी करते है उनके पास स्वंय के नाम कोई जमीन नही है तथा उस गाँव का निवासी है जहां भूमि अलोट की जानी है कमेटी के सदस्य उस क्षेत्र का विधायक, प्रधान, ग्राम सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि होंगे जिसके अलोटमेन्ट पर हस्ताक्षर होंगे ।

अप्रार्थी संख्या को किये गये भूमि अलोटमेन्ट मे मातहत न्यायालय द्वारा किसी भी नियम की पालना नही की गई है तथा नियमो के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से साज कर भूमि का गलत रूप से अलॉटमेन्ट कर दिया। अलॉटमेन्ट कमेटी ने बिना कोई जाँच किये ही भूमि का अलॉट कर दिया मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह को कोई कब्जा नही संभलाया हल्का पटवारी ने केवल घर पर बैठकर ही कब्जा रिपोर्ट के गलत दस्तावेज तैयार किये है। अलॉटी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दी गई सभी सूचनाये गलत दी गयी थी जिसकी जाँच किया जाना अलॉटमेन्ट कमेटी का विधिक दायित्व था जो इस प्रकरण मे बिल्कुल भी नही किया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह द्वारा भूमि का आवेदन करते समय अपने आप को जगन का पुत्र दर्शाया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह पुत्र जगन न होकर रामसिंह पुत्र श्री नारायण गुर्जर है। यह बात अप्रार्थी संख्या 1 अच्छी प्रकार से जानता है फिर भी उसने चालाकी पूर्वक अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर के स्थान पर जगन लिख दिया जिसकी सही जाँच भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अलोट कमेटी द्वारा नही की गयी और बिना कोई जॉच किये मिली भगत से भूमि अलोटमेन्ट कर दिया गया । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह ने अपने पिता का नाम कई सरकारी दस्तावेजात मे श्रीनारायण ही लिखा है। अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है उसने गंगापुर सिटी के न्यायालयो में भी अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर ही अंकित किया है। अप्राथी संख्या 1 अपर जिला एवम् सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) गंगापुर सिटी में चले प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कन्हैया वगैहरा सैशन प्रकरण संख्या 13/2001 अन्तर्गत धारा 363, 366, 366(क), 368 372, 376, 392, भारतीय दण्ड संहिता में मुलजिम रहा है जिसे माननीय न्यायलय ए०डी० जे० से दिनांक 21–11–2001 के निर्णय के अनुसार सात साल का कठोर कारावास की सजा व 1000/–रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया है प्रार्थी लख्खीराम के हक में लिखा गया समझौता पत्र का एक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प रामसिंह द्वारा दिनांक 6–7–2009 को ख़रीद किया गया उसमे अपना नाम, पता रामसिंह पुत्र श्रीनारायण लिखा है अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह को आपराधिक प्रकरण में हुई सजा पर केन्द्रीय कारागृह भरतपुर से हुई पैरोल अवकाश दिनांक 22–5–2003 से रामसिंह के पिता का नाम श्रीनारायण लिखा है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० गंगापुर सिटी में प्रकरण उनवानी सरकार बनाम गैंदीलाल वगैहरा मुकदमा नम्बर 273/16 मे अप्रार्थी रामसिंह के हुए बयान दिनांक 11–8–2023 को रामसिंह ने अपना नाम पता रामसिंह पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा दर्ज करवाया था। ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे हुई पंच पंचायत में भी रामसिंह ने अपने पिता का नाम श्रीनारायण दर्ज करवाया है पाँच आदमियो के द्वारा पेश शपथ–पत्रो में रामसिंह के पिता का नाम श्रीनारायण लिखा है इस प्रकार ऐसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेजात है जिसमे रामसिंह के पिता का नाम जगन नही होकर श्रीनारायण लिखा हुआ है। अप्रार्थी संख्या आज दिन तक अपनी वलदयत के रूप मे अपने पिता का नाम श्रीनारायण गुर्जर ही दर्ज कराता चला आ रहा है, इस प्रकार रामसिंह द्वारा अपनी वल्दियत छुपाकर उक्त आलैच्य अलोटमेन्ट करवाया गया है जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है ।यह कि माननीय न्यायालय के सुलभ अवलोकनार्थ नियम 14(4) भू आवंटन 1970 को उघृत किया जा रहा है " **The collector shall have the power to cancel any allotment made by a sub&division office or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules either suo moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has com&mitted breach of any of the conditions of allotment"** इस प्रकार यह सुस्थापित है कि आवंटी रामसिंह ने अपने आपको जगन का पुत्र होना व भूमिहीन होना बताकर आवंटन प्राप्त किया है व फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन किया है ऐसे फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन प्राप्त किये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है चाहे उसे खातेदारी [illegible] मिल गये हो माननीय राजस्व मण्डल ने अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयो [illegible] के आदेश पारित किए है। जिनमे से कुछ निर्णयो के साईटेशन निम्न [illegible] है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 19/25 उनवान लक्खीराम बनाम रामसिंह व अन्य

1–2018–19 (sup-) RRT पेज 338
2–2006 (1 RRT पेज 398
3–2007 (1) RRT पेज 193
4–RBJ (20) 2013 पेज 621

उपरोक्त न्याय दृष्टांतो मे स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया गया है कि फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन द्वारा करवाये गये अलोटमेंट को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकरण मे उपरोक्त सभी न्याय दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है ।

अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह द्वारा उक्त आलौच्य अलोटमेन्ट अपने आपको भूमिहीन बताकर साजिशी तौर पर यह अलोटमेन्ट अपने नाम करवाया गया है जबकि सच्चाई यह है कि उक्त रामसिंह पूर्व से ही भूमिधारी खातेदार कृषक रहा है उसके नाम ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास मे कृषि भूमि रही है ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के खाता संख्या पुराना 130 व खाता संख्या नया 133 में दर्ज खसरा नम्बर 163 रकवा 0.21 खसरा नम्बर 766/337 रकवा 1.00 हेक्टर खसरा नम्बर 774/312 रकवा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 821/762 रकवा 0.62 हेक्टर कुल 2.20 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रही है। उक्त भूमि इस विवादित अलोटमेन्ट वर्ष 1992 से पूर्व वर्ष 1986 व उससे पूर्व रामसिंह के हक में अलोट की गयी भूमि है। कमेटी व अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात की कोई पुष्टि नही करते हुए ही रामसिंह को उक्त भूमि अलोट कर दी जिससे कब्जाधारी प्रार्थी व अन्य भूमिहीन व्यक्तियो का नुकसान हो गया है। अलोटमेन्ट खारिज किये जाने योग्य है। आवंटी रामसिंह को इस आवंटन दिनांक 16–6–1992 से पूर्व भी दिनांक 4–6–1986 को भूमि का आवंटन किया जा चुका था इस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा छिपाया गया है। अलोटशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 337/1 रकवा 0.50 हेक्टर ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास पर प्रार्थी लक्खीराम का शुरू से ही कब्जा रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी लक्खीराम ही भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है आवंटन नियमो के अनुसार कब्जे के अभाव मे भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन समिति द्वारा भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व कोई अधिसूचना किसी भी समाचार–पत्र या नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से नही दी गयी जबकि भूमि का आवंटन करने से 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर सूचना देना तथा राष्ट्रीय समाचार–पत्र मे अधिसूचना निकालना आवंटन नियमानुसार आवश्यक था ताकि आवंटन की जा रही भूमि पर कब्जाधारी व्यक्तियो की आपत्ति ली जा सके लेकिन इस प्रकरण मे ऐसा नही किया जाकर चुपचाप तरीके से आवंटन कर दिया गया गया जिससे आवंटन समिति की मिलीभगत स्पष्टतः उजागर हुई है आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

अप्रार्थी रामसिंह का यह कहना कि वह जगन के गोद गया बिल्कुल गलत है वह जगन के कभी गोद नहीं गया । यदि रामसिंह जगन के यहाँ गोद गया होता तो उसके द्वारा कोर्ट कचहरी एवं पाँच आदमियो के समक्ष अपने शपथ–पत्र मे रामसिंह पुत्र श्रीनारायण के स्थान पर रामसिंह पुत्र जगन लिखवाता रामसिंह के सभी कागजात रामसिंह पुत्र श्रीनारायण के नाम से ही दिये जाते रहे है । रामसिंह ने संपूर्ण आवंटन की कार्यवाही मे छल कपट को अपनाते हुए उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम करवाया है और इस छल कपट की कोई छानवीन भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई आवंटन निरस्तनीय है । अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह का यह कहना कि प्रभू के केवल तीन लडके श्रीनारायण, जगन व मूलचन्द हुए व अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह जगन के गोद चल गया बिल्कुल गलत है जबकि सही बात यह है कि प्रार्थी के बाबा प्रभू के पांच पुत्र श्रीनारायण जगन, मूलचन्द, प्यारसिंह, नादान हुए जिनमे से जगन, नादान व प्यारसिंह लाऔलाद फौत हो चुके है और इनके हिस्से की भूमि का विभाजन प्रभू के शेष जिन्दा वारिसान श्रीनारायण व मूलचन्द के हिस्से मे 1/2 भाग मे विभाजित हो गयी। यदि अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह जगन के गोद गया होता तो निश्चित रूप से जगन के हिस्से की भूमि रामसिंह के नाम खातेदारी मे दर्ज हो जाती क्योकि रामसिंह को जगन ने अपने जीवनकाल मे गोद लिया ही नही था। प्रार्थी लक्खीराम ने अपने तथ्यो के समर्थन मे ग्रामवासियो व अन्य व्यक्तियो के शपथ–पत्र पेश किये है जिनसे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 जगन के कभी गोद नही गया और उसने अप्रार्थी संख्या 1द्वारा अलोटमेंट कराते समय फोड व मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर मिथ्या तथ्यो का सहारा लेकर जो अलोटमेंट करवाया है वो निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह पुत्र जगन जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास के हक मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16–6–1992 मिसल नम्बर 1735 न्यायालय एस.डी.ओ. गंगापुर सिटी द्वारा आवंटन की गयी भूमि खसरा नम्बर 337/1 मे से रकवा 0.50 हेक्टर वाके ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास का आवंटन निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि को राजकीय भूमि मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बामनवास को देने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के भाई लक्खीराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय मे आवंटन निरस्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्राथर्थी संख्या 1 के हक में आराजी खसरा नम्बर 337/1 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास दिनांक 16.06.1992 को गलत रूप से आंवटित किया गया था। जिसमे प्रार्थी को किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की प्रार्थना की है। जिसमे प्रार्थी के आक्षेप निम्न [illegible] मैन आवंटन सलाहकार समिति एसडीओं गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी [illegible] दि[illegible] 16.06.1992 को आवंटन अपने नाम करवा लिया भू–आंवटन नियम 1970 के प्रावध[illegible] का उल्लघन किया गया आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

की शर्तो का उल्लधंन किया है। आवंटन होने के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करेगा तथा नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। जबकि आवंटी का कोई कब्जा नहीं है, प्रार्थी का कब्जा है। रामसिंह ने अपने पिता का नाम दस्तावेजों में श्रीनारायण लिखा है। अपराधी किस्म का व्यक्ति है। उक्त आक्षेपों के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। जबकि सही स्थिती है कि प्रार्थी को जो आवंटन किया गया था, वह सही एवं नियमानुसार किया गया था। प्रार्थी अप्रार्थी आवंटी का सगा भाई है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसी से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के नाम से आवंटन करवाया है उस भूमि पर हमेशा प्रार्थी का कब्जा रहा है। रामसिंह ने गलत रूप से भूमि का आवंटन गलत रूप से अपने नाम करवा लिया जबकि उक्त आवंटन प्रार्थी के नाम होना चाहिए था। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से यह कहा कि भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन भूमि प्रार्थी के नाम नही करवायी जिस पर विवाद होने पर दोनो भाईया के मध्य दिनांक 06/07/2009 को एक समझौता 50/–रूपये के स्टाम्प पर तहरीर एवं तकमील किया गया। जिसमे यह अंकित किया गया कि भूमि आज दिनांक को जिसके कब्जे मे है उसी के कब्जे मे रहेगी।दोनो भाई विवाद नहीं करेगे। परन्तु रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। इसलिये प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष गलत एंव निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 22/06/2012 को अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी, व मूलचन्द भाई रूपसिंह के मध्य राजीनामा हुआ था। जिसमे यह तय हुआ था कि रामसिंह व लक्खी के पास 6 बीघा जमीन ज्यादा थी। उसमे से 2 बीघा जमीन मूलचन्द को दिलायी और मूलचन्द रामसिंह के अलोटमेन्ट को जोत रहा है। जिसे जोतता रहेगा। रामसिंह मूलचन्द को बालाजी अलोटमेन्ट वाली जमीन मे से 5 ऐयर जमीन और देगा। लक्खी रामसिंह को 5 ऐयर जमीन देगा। मूलचन्द के खाते की जमीन रामसिंह व लक्खी के नाम रजिस्ट्री करवायेगा, खाते की जमीन 1/3 रहेगी। तीनो आपस मे फसल के लिये पानी देगे, रास्ता नही रोकेगे। इससे स्पष्ट है। कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र मे आरोप गलत एवं निराधार लगाये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन 16.06.1992 को हुआ था एवं उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिये 33 साल पश्चात् गलत एवं निराधार तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है अगर कोई धोखाधडी और बेईमानी होती तो प्रार्थी आवंटन के समय ही ऐतराज कर सकता था एवं आवंटन होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था।

अप्रार्थी संख्या के पक्ष में आवंटन नियमानुसार किया गया था यदि कोई कागजो में कमी रही है तो वह अवैधानिक [illegible] है। आवंटन के तुरन्त पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि [illegible] अप्रार्थी [illegible] को कब्जा संभला दिया था एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन नियमो का प[illegible] करते हुये उक्त भूमी मे काश्त करता चला आ रहा है। नियमानुसार प्रार्थी के हक में पहले गैरखातेदारी दर्ज की थी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

तत्पश्चात् खातेदारी दर्ज की गई है एवं प्रार्थी के हक में खातेदारी दर्ज हुये है एवं खातेदारी दर्ज हुये करीब 28 वर्ष का अरसा हो चूका है। आवंटन निरस्त नही किया जा सकता उपरोक्त संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय सुरजन बनाम हनुमान 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 185, काना बनाम प्रकाशी बाई 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 312, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रतनसिंह 2024 (1) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 431, हबीब बनाम चन्दर सिंह वर्ग) 2024(2) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 941, देवकिशन बनाम भजन 2024(2) डी०एन० जे० (रेवेन्यू) 1166, उपरोक्त न्याय दृष्टोन्तो मे स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि लम्बे समय पश्चात् एवं खातेदारी होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता एवं धोखाधडी सम्बन्धी आपक्षेपो को भी निर्णित किया गया है। प्रार्थी के बाबा प्रभू के तीन लडके श्रीनारायण, जगन व मूलचन्द है जिसमे श्रीनारायण के दो पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 है। जगन माह सुदी एकदशी सम्बत् 2024 को लाऔलाद फौत हे गया था। जगन ने अपने जीवन काल में ही अप्रार्थी को गोद ले लिया था। एवं जगन की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने ही उसके सारे कियाक्रम बतोर पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 ने किये थे एवं जगन की पगडी भी अप्रार्थी संख्या के बधी थी। पगडी की रस्म से पहले नातेदारी रिश्तेदार जाति बिरादरी व गाँव के पंच पटेलो मे भी यह मामला निर्णित हुआ था कि अप्रार्थी संख्या 1 जगन का दत्तक पुत्र होने के नाते वारिस रहेगा। ऐसी स्थिती मे अप्रार्थी संख्या 1 ना तो किसी प्रकार के तथ्य छुपाये गये है ना ही कोई गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 के आधार कार्ड संख्या 5845 0296 4582 का अवलोकन करे जिसमे प्रार्थी की बलदियत मे प्रार्थी के पिता का नाम जगनलाल दर्ज है। जो स्व० जगन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् का ही बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या के शिक्षा अभिलेख स्व० जगन की मृत्यु के पूर्व का है जिसमे प्रार्थी के पिता के रूप में प्राकृतिक पिता का नाम बलदियत में दर्ज है। कभी भी बलदियल को सही कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना ही पिता का परिवर्तन का कोई प्रावधान है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी के प्राकृतिक पिता एवं गोद पिता दोनो के नाम का उपयोग होता रहा है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की फर्जीयत या धोखाधडी नहीं की है। उपरोक्त तथ्य सही है यह बात प्रार्थी भी जानता है परन्तु स्वार्थवश सही तथ्यो को छुपाकर गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने तथ्यो के समर्थन में ग्राम वासीयो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार है। उपरोक्त संदर्भ में मूलचन्द उर्फ मूल्या उर्फ मूला पुत्र प्रभू द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मे उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दावा पेश किया गया है जो विचाराधीन है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब दावा विचाराधीन हो ऐसी स्थिती मे उपरोक्त संदर्भित प्रार्थना पत्र प्रचलन नहीं किया जा सकता। उक्त आधार पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी बहस में रामसिंह के पिता का नाम श्री नारायण होना तथा रामसिंह जगन के गोद नही जाना अंकित किया है। साथ ही प्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटन के समय तथ्य छुपाना, आवंटन भूमि के समय से पूर्व से परिवार के पास खातेदारी भूमि होना अंकित किया है। जबकि आवंटी (अप्रार्थी) पक्ष द्वारा उक्त आवंटन विधि अनुरूप तथा पूर्ण कोरम की अभिशंषा पर होना अवगत कराया है। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया।

1. प्रार्थी द्वारा आवंटी के पिता का नाम जगन ना होकर श्रीनारायण होना अंकित किया है। भारतीय उत्तराधीकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के तहत आवंटी का वास्तविक पिता जगन है अथवा श्रीनारायण ? इसका विनिश्चयन सक्षम सैशन न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किसी भी प्रकार का आदेश/निर्णय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

2. प्रार्थी द्वारा आवंटी रामसिंह कभी भी जगन के गोद(दत्तक) नही जाना अंकित किया है। आवंटी रामसिंह जगन के गोद गया या नही यह तय करने के लिए राजस्व न्यायालय अधिकृत नही है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा किसी भी गोदनामा के फर्जी होने संबंधी डिक्री भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही की है।

3. प्रार्थी द्वारा अवगत कराया है कि आवंटी द्वारा आवंटन आदेश के समय तथ्य छुपाये है। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन के समय सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था तथा आवंटन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना पाया गया।

4. प्रार्थी पक्ष ने अवगत कराया कि आवंटन के समय आवंटी के परिवार में पूर्व से खातेदारी भूमि स्थित थी। प्रार्थी पक्ष द्वारा आवंटी के पास स्थित पूर्व में खातेदारी भूमि का कोई दस्तावेज/साक्ष्य/राजस्व अभिलेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही किए है।

5. प्रार्थी पक्ष ने अपनी अपील के साथ समझौता नामा (इकरार नामा) 50 रू के स्टाम्प पर पेश किया है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों के हस्ताक्षर निशानी अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त समझौता नामा का तय सक्षम सिविल न्यायालय में किया जाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

पंजीयन अधिनियम 1908:—पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के तहत 100/— रू0 से ज्यादा मूल की अचल संपत्ति के अनिवार्य रूप से पंजीयत **(mandatory** Registration) का प्रावधान है।

Section 17 of the Registration Act, 1908,

mandates the compulsory registration of specific documents to ensure legal validity and prevent fraud, primarily concerning immovable property transactions worth ₹100 or more. Key documents include gifts of immovable property, non-testamentary instruments transferring rights/titles, and leases for over one year.

साथ ही अधिनियम की धारा 49 के तहत अपंजीकृत दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्यता विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती है।

Section 49 of the Registration Act, 1908

dictates that documents requiring mandatory registration (under Section 17 or the Transfer of Property Act) cannot legally affect immovable property, confer adoption powers, or be received as evidence of such transactions in court unless they are duly registered

ऐसी स्थिति प्रार्थी पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बहस में अंकित किए गए तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि खातेदारी भूमि दर्ज हो चुकी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:25 IST
Reason: SelfAttested